

**न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या: 80/2024/ सरफैसी

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेश लिमिटेड पता-ग्यारवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गणपतराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई-400013

.....प्रार्थी

बनाम

1. किरण वैष्णव पत्नी यशवन्त वैष्णव पता- 19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001 राजस्थान एवं मार्फत मैसर्स यश बुक बाईण्डर्स 19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001
2. यशवन्त वैष्णव पुत्र किशनदास वैष्णव पता- 19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001 राजस्थान एवं मार्फत मैसर्स यश बुक बाईण्डर्स 19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001 एवं मार्फत राजस्थान पत्रिका प्रा.लि. मैन रोड, सुन्दरवास, ओस्तवाल प्लाजा के सामने, उदयपुर 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



उपस्थित: श्रीमती श्वेता जैन अधिवक्ता प्रार्थी

**आदेश**

दिनांक 27/03/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 4,40,000 + 6,95,000 + 1,41,674 रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (प्लॉट न. 19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001 राजस्थान कुल क्षेत्रफल 313.15 वर्गफीट स्थित है जिसके पूर्व में मकान सुरेशचंद, पश्चिम में खुला रास्ता, उत्तर में खुला रास्ता, दक्षिण में चितोडा भवन स्थित है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय व्याज दिनांक 29.12.2023 तक 15,39,475/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भालने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

शिला कलक्टर  
उदयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 4,40,000 + 6,95,000 + 1,41,674 रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 29.12.2023 तक 15,39,475/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (19, कान्जी हाटा, स्ट्रीट न. 02, नियर श्रीनाथ टेम्पल, मुखर्जी चौक, उदयपुर 313001 राजस्थान कुल क्षेत्रफल 313.15 वर्गफीट स्थित है जिसके पूर्व में मकान सुरेशचंद, पश्चिम में खुला रास्ता, उत्तर में खुला रास्ता, दक्षिण में चितोडा भवन स्थित है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर